

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 16 /2021

दिनांक 28.01.2021

श्रीमती माधवी मोदी (RJ1142), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, बून्दी को दिनांक 15.02.2021 से 06.03.2021 तक 20 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.02.2021 से 14.02.2021 एवं 07.03.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री निखिल कुमार नाइ (RJ1146), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी को श्रीमती माधवी मोदी के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, बून्दी के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. श्री निखिल कुमार नाइ (RJ1146), जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, बून्दी के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से
28/01/2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/07/2017/ 467

दिनांक 28.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 137 दिनांक 12.01.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती माधवी मोदी (RJ1142), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, बून्दी ।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, बून्दी ।
5. श्री निखिल कुमार नाइ (RJ1146), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी ।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

82

सहायक रजिस्ट्रार